

क्र.सं.	प्रश्न का विषय	प्रश्न	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्मित किया जाना है।	प्रस्तावक
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	5	प्रस्तावक	प्रस्तावक
6.	सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई सूचना/प्रमाण-पत्रों की जाँच	6	उप-निर्वाहिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
7.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रामाणिक रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक
8.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि की अलग-अलग खण्डों से दर्शाया गया है।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक
9.	जिले के भू-सूचना विभाग में प्रस्तावित क्षेत्र की जमीनीय स्थिति का सत्यापन।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक
10.	गुप्त मानचित्र जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची

सारणी-12

3.2 भारत सरकार, पृथिवी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

प्रपत्र: यह दर्शा गया है कि सम्बन्धित प्रयोजन एजेंसीज द्वारा ऑन लाइन अपलोड किया जा रहा है वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के साथ वीथी प्रेषित सूचनाएं संलग्न नहीं की जा रही है व अथवा प्रस्ताव ऑन लाइन अपलोड का प्रस्तावक की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने के कारण भारत सरकार से परीक्षण की स्वीकृति प्राप्त करने में विफल हो रहा है।

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पृथिवी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। भारत सरकार के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यात किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन लाइन (Online) प्रेषित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल www.moef.nic.in पर ऑन लाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की जाँच, जिसमें सम्बन्धित प्रयोजन एजेंसीज के द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें सम्बन्धित सूचनाओं/प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनकी प्रकृति

अध्यय-3

[illegible]

32.	मगन निर्माण और प्रकरणों में से-आवक लाग	प्रस्तावक	32	प्रस्तावक	
34.	परिचालना के निर्माण हेतु मू-वैज्ञानिक की आख्या।	मू-वैज्ञानिक	33	मू-वैज्ञानिक	
35.	मू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुमोदन किसे जान का	प्रस्तावक	34	प्रस्तावक	
36.	प्रतीवक्षकों में टास्क फोर्स की संरचितियाँ मान्य होने का	प्रस्तावक	35	प्रस्तावक	
37.	मानक होने मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	36	प्रस्तावक	
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	37	प्रस्तावक	लिमाधिकारी/प्रस्तावक
39.	बन्ध जोड़ों एवं वनस्पतियों की क्षति न पहुँचाई जाने का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परिचालना के निर्माण में कादम्बर अनेकों को मिट्टी की ढील/कठोरता/व्यवस्था कराई जाने का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	निर्माण के लिए निर्धारित क्षेत्रों का वर्तमान स्थिति का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	निर्माण के लिए निर्धारित क्षेत्रों का वर्तमान स्थिति का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	41	प्रस्तावक	लिमाधिकारी
45.	क्षतिपूर्वक सुधारणों की वसुधार्थ्य योजना का प्रावधान (मू-वैज्ञानिक)। (1.00 से 10.00 के बीच अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में)	प्रस्तावक	42	प्रस्तावक	प्रस्तावक
46.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए अनुमोदन का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र निर्माण क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	44	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
48.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	45	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
49.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	46	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
50.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	47	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
51.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	48	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
52.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	49	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
53.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	50	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रस्तावक
54.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	51	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	52	प्रस्तावक	प्रस्तावक
56.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	53	प्रस्तावक	प्रस्तावक
57.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	54	प्रस्तावक	प्रस्तावक
58.	क्षतिपूर्वक सुधारणों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावक	55	प्रस्तावक	प्रस्तावक

क्र.सं.	प्रश्न का विषय	प्रश्न संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	हस्ताक्षर किये जाने हैं।	विभाग/अधिकारी
1	2	3	4	5	
1.	आवृत्ति के आधार पर प्रमाणित योग्यता समीक्षा	1	प्रस्तावक/डिप्टी कमिश्नर	डिप्टी कमिश्नर	
2.	आवृत्ति के आधार पर प्रमाणित योग्यता समीक्षा	2	प्रस्तावक/डिप्टी कमिश्नर	डिप्टी कमिश्नर	

सारणी-14

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले आविश्क प्रश्न एवं सूचनाएं।

क्र.सं.	प्रश्न का विषय	प्रश्न संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	हस्ताक्षर किये जाने हैं।	विभाग/अधिकारी
1	2	3	4	5	
1.	सड़कों के चौड़ाकरण के मामले में पूर्व निर्मित मार्ग एवं जोड़े किये जाने वाले मार्ग के मार्ग को बार बाट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डिप्टी कमिश्नर	
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक	

सारणी-13

पूर्व सूचनाएं

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले आविश्क प्रश्न एवं सूचनाएं।

क्र.सं.	प्रश्न का विषय	प्रश्न संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	हस्ताक्षर किये जाने हैं।	विभाग/अधिकारी
58.	कट खान की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए प्रमाण-पत्र।	56.	प्रस्तावक	प्रस्तावक	
59.	भारत सरकार, पृथिवीय एवं वन मंत्रालय की पृथिवीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	57	प्रस्तावक/डिप्टी कमिश्नर	डिप्टी कमिश्नर	
60.	कालावीत बीजों के नवीनीकरण हेतु प्रश्न।		प्रस्तावक	प्रस्तावक	